LATEST NEWS

Election

Date : 11th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer, Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 तैयारियों की समीक्षा

समस्त मतदान केन्द्रों पर होगी वेबकास्टिंगः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कार्मिकों को अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करने के दिए निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। अंता विधानसभा उप चुनाव-2025 स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भय रहित माहौल में सम्पन्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीसी के जरिए समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कार्मिक अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करें। साथ ही, जागरूकता गतिविधियां बढ़ाकर अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने अंता उप चुनाव - 2025 के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) एवं अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस बैठक में इस सम्बन्ध में निर्देश दिए। उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का गहनता से अध्ययन करें और तदनुसार अपने टीम के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण देकर निर्वाचन को निष्पक्ष और समावेशी प्रक्रिया के रूप में संपन्न करवाएं।

100 प्रतिशत वेबकास्टिंगः महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर या सेक्टर ऑफिसर की तैनाती कर सकते हैं। ये सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी और अधिकारों की पूरी जानकारी रखें। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित करें एवं एक ही लोकेशन पर 3 या 3 से अधिक मतदान केन्द्रों वाले स्थानों पर एक अतिरिक्त कैमरा बाहर की तरफ भी लगाया जाए।

राजस्थान पत्रिका

बारां, शनिवार, 11.10.2025

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की

अगर वोटर आईडी नहीं तो भी 12 विकल्प से कर सकेंगे मतदान

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके तहत जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हैं, वे मतदान के दिन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। आयोग ने 7 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में यह व्यवस्था की है, इससे ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सुची में हैं, लेकिन ईपिक उपलब्ध नहीं है, उन्हें अपनी पहचान बताने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

यह दस्तावेज जरूरी

मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी पासबुक (फोटो सहित), स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के तहत जारी), भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, निजी लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सेवा पहचान पत्र (फोटो सहित), सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) का मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकेंगे।

यह सबसे जरूरी

इन तरीकों से मतदान करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में जरूर शामिल होना चाहिए।

इनके लिए विशेष व्यवस्था

आयोग ने पर्दा करने वाली (बुरका या पर्दा धारण करने वाली) महिलाओं की गरिमा और निजता बनाए रखने के लिए आयोग ने विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे मतदाताओं की पहचान महिला मतदान अधिकारियों या परिचारिकाओं की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी।

राजस्थान पत्रिका

बारां, शनिवार, 11.10.2025

बालिकाएं देंगी शत-प्रतिशत मतदान का संदेश

बारां @ पत्रिका. अंता उप चुनाव के तहत गतिविधियों के तहत शनिवार को नींव' लड़कियां भागे, सबसे आगे स्लोगन के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अंता में दौड़ कराई जाएगी। कार्यक्रम में जिले के प्रत्येक ब्लॉक से ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 1100 बालिकाओं की पांच किमी दौड़ प्रातः 7 बजे से आरंभ होगी। इसमें बालिकाएं उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान का संदेश देंगी। कार्यक्रम में जिला प्रशार्सन के अधिकारीगण एवं स्थानीय नागरिक आदि उपस्थित रहेंगे। जिले के अंता ब्लॉक में राज्य की सबसे बडी दौड़ होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 9 से 12 वर्ष की बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को मज़बूत करना है। कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रशिक्षित कोच, जिला प्रशासन, वैश्विक धावक, और सहयोगी संस्थाएं सक्रिय रूप से सहयोग दे रही हैं।

कस्बाथाना. राजकीय सहरिया आश्रम बालिका छात्रावास कस्बाथाना, देवरी की बालिकाएं जिला मुख्यालय पर दौड़ेंगी। अधीक्षिका ऋतु दुबे ने बताया कि हमारी लाडो लाडो योजना की लड़कियों आगे सबसे आगे संस्था के माध्यम से छात्रा उप्रावि सहराना बस्ती की 30 बालिकाओं को ट्रैक सूट व जूते मौजे वितरित किए गए। ये बालिकाएं हेडक्वार्टर डीपीसी जाकिर हुसैन अंसारी के साथ जाकर अन्तरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर बारां में 5 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेंगी।

राजस्थान पत्रिका

बारां, शनिवार, 11.10.2025

राष्ट्रीय डाक दिवस पर किया जागरूक

बारां @ पत्रिका. शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अंता विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी उप डाकघर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंता मुख्यालय स्थित उप डाकघर में सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने उपस्थित जन को निर्भीक होकर अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प कराया। वहीं उप डाकपाल अवंतिका मीणा ने सभी से मतदान करने की अपील की। भार्गव ने निर्वाचन विभाग द्वारा जारी ऑनलाइन ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी देने सहित मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाए तथा अपने निर्वाचन संबंधी कार्य ऐप के माध्यम से करने के साथ अपने परिचित जन का भी सहयोग करने की बात कही। उप डाकघर मांगरोल में उप डाकपाल रामनिवास पोटर, सीसवाली में उप डाकपाल गोविंद कुमार तथा अंता के एनटीपीसी स्थित उप डाकघर में उप डाकपाल सोहनलाल ने कार्मिकों व आमजन को मतदान का संकल्प कराया।

हाड़ौती संचार
बारां, शनिवार, 11.10.2025

राष्ट्रीय डाक दिवस पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन

बारां, 10 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशानुसार 11 नवंबर को अंता विधानसभा उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अंता विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी उप डाकघर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

अंता मुख्यालय स्थित उप डाकघर में सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने उपस्थित जन को निर्भीक होकर अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प कराया। वहीं उप डाकपाल अवंतिका मीणा ने सभी से मतदान दिवस पर अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की। भार्गव ने निर्वाचन विभाग द्वारा जारी ऑनलाइन ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी देने सहित मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाए तथा अपने निर्वाचन संबंधी कार्य ऐप के माध्यम से करने के साथ अपने परिचित जन का भी सहयोग करने की बात कही। उप डाकघर मांगरोल में उप डाकपाल रामनिवास पोटर, सीसवाली में उप डाकपाल गोविंद कुमार तथा अंता के एनटीपीसी स्थित उप डाकघर में उप डाकपाल सोहनलाल ने कार्मिकों व आमजन को मतदान का संकल्प कराया। इस दौरान डाक विभागीय अधिकारी, कार्मिक एवं नागरिक मौजूद रहे।

हाड़ौती संचार
बारां, शनिवार, 11.10.2025

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित

बारां, 10 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में शुक्रवार को अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी अधिकारियों को आचार संहिता के दौरान मतदाताओं को नगद या सामग्री के माध्यम से अवैधानिक तरीके से प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा ऐसी सामग्री को जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन व सामग्री वितरण के मामलों की धरपकड़ के लिए सूचना तंत्र को सुदृढ़ करते हुए त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जाए। फ्लाईंग स्कवाड, पुलिस बल, आबकारी विभाग की टीमें सक्रियता के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए निगरानी रखें। बैठक में एडीएम भंवरलाल जनागल, जिला परिषद सीईओ राजवीर सिंह चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

rajkaj_1758946131019.pdf

हाड़ौती संचार
बारां, शनिवार, 11.10.2025

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित

दिशा न्यूज। बारां.

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में शुक्रवार को अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी अधिकारियों को आचार संहिता के दौरान मतदाताओं को नगद या सामग्री के माध्यम से अवैधानिक तरीके से प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा ऐसी सामग्री को जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन व सामग्री वितरण के मामलों की धरपकड़ के लिए सूचना तंत्र को सुदृढ़ करते हुए त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जाए। फ्लाईग स्कवाड, पुलिस बल, आबकारी विभाग की टीमें सक्रियता के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए निगरानी रखें।

बैठक में एडीएम भंवरलाल जनागल, जिला परिषद सीईओ राजवीर सिंह चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पंजाब केसरी

शनिवार, 11.10.2025

पंजाब केसरी
SAT,11 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 12

121 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन शुरू

बिहार विधानसभा की 243 में से प्रथम चरण में 121 सीट पर 6 नवम्बर को होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार 17 अक्तूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्तूबर को होगी और 20 अक्तूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे।

जिन सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई है उनमें मुख्य रूप से आलमनगर, मधेपुरा, सोनबर्षा (सुरक्षित), सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, बहादुरपुर, जाले गायघाट, औराई,, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट भोरे (सुरक्षित), हथुआ, सिवान, जीरादेई, रघुनाथपुर, दरौंधा, बड़हरिया, एकमा, मांझी, छपरा, गरखा (सुरक्षित), हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राघोपुर, पातेपुर (सुरक्षित), समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, विभूतिपुर, हसनपुर, चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय, अलौली (सुरक्षित) खगड़िया, परबत्ता, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बिहारशरीफ, राजगीर (सुरक्षित), इस्लामपुर, नालन्दा, मोकामा आदि शामिल हैं।

पंजाब केसरी

शनिवार, 11.10.2025

पंजाब केसरी
SAT,11 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 12

फैसला असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में होने हैं विधानसभा चुनाव

चरणबद्ध तरीके से SIR की तैयारी, चुनावी राज्यों से हो सकती है शुरुआत

निर्वाचन आयोग पूरे देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत उन कुछ राज्यों से होगी जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। साथ ही आयोग उन राज्यों में मतदाता सूची को दुरुस्त नहीं करेगा, जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि जमीनी स्तर की चुनावी मशीनरी इसमें व्यस्त है और संभवत: एसआईआर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। इन चार

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के अलावा, पहले चरण में कुछ अन्य राज्यों में भी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा सकता है।

बिहार में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम पूरा हो चुका है, जहां 30 सितम्बर को लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा था कि सभी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया का काम जारी है और इसे शुरू करने पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।

अधिकतर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी बार पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच हुआ था। ज्यादातर राज्यों ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मिलान लगभग पूरा कर लिया है। एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य जन्म स्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। इसे राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार सहित अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से दे सकेंगे वोट

निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है, वो बिहार विधानसभा चुनाव में 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। आयोग ने बताया कि वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक/विधान पार्षद को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी 'यूनिक डिसएबिलिटी आईडी' कार्ड में से किसी एक को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

सच कहूँ

श्रीगंगानगर, शनिवार, 11.10.2025

माइक्रो ऑब्जर्वर और पीठासीन पदाधिकारियों की जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन

बिहार विधानसभा चुनाव

पटना (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारियों की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन किया है। यह टीम 17 और 18 अक्टूबर को संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारियों की ओर से रखे जाने वाले साक्ष्य और प्रमाण पत्रों के आधार पर उनकी जांच करेगी। आयोग ने शुक्रवार को जानकारी दी कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी गंभीर बीमारी, रोग या दिव्यांगता के कारण निर्वाचन कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया गया है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर चिकित्सा जांच दल का

गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तारीखों को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल टीम के सामने उपस्थित हो सकते हैं। पटना के गांधी मैदान स्थित श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में इन पदाधिकारियों की जांच की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियत तारीख के बाद किसी भी गंभीर बीमारी, रोग या विकलांगता के आधार पर चुनाव कार्य से मुक्त करने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9 और 10 अक्तूबर को हुआ था ट्रेनिंग सैशन

इससे पहले, बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 9 और 10 अक्टूबर को सभी रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 243 आरओ और 1418 एआरओ ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस ट्रेनिंग सेशन में नामांकन प्रक्रिया, योग्यता-अयोग्यता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी), नामांकन वापसी, प्रतीक आवंटन, मतदान के दिन की व्यवस्थाएं और मतगणना समेत चुनाव संचालन के सभी चरणों को कवर किया गया। राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स ने आरओ और एआरओ के शंकाओं का समाधान किया, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

चुनाव आयोग, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 21 सहपठित धारा 24 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को नामित या मनोनीत करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित किए जाएं। निर्धारित अवधि के दौरान आरओ और एआरओ आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।